20

न्यालायय माननीय राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर, (केम्प उज्जैन)

प्रकरण क्रमांक /16 निगरानी निग-2888-PBR-16

श्री अनिल बरोड अधि. द्वारा उज्जैन केम्प पर प्रस्तुत।
23-9-16

1. सौरम बाई पति स्व. धीरजसिंह, आयु 50 वर्ष,
2. प्रदीप पिता स्व. धीरजसिंह, आयु 20 वर्ष,
3. संगीता पिता स्व. धीरजसिंह, आयु 24 वर्ष,
4. अनिता पिता स्व. धीरजसिंह, आयु 22 वर्ष,
5. चिन्ताबाई पिता स्व. धीरजसिंह, आयु 18 वर्ष,

समस्त जाति मेवाड़ा, धंधा– कृषि, निवासी– ग्राम टप्पा बसंतपुर, तहसील शुजालपुर, जिला– शाजापुर, म.प्र.

.... प्रार्थीगण / अनोवदकगण

विरूद्ध

दुर्गाप्रसाद पिता बुलाखीसिंह, आयु 65 वर्ष, जाति मेवाड़ा, धंधा– कृषि, निवासी– ग्राम टप्पा बसंतपुर, तहसील शुजालपुर, जिला– शाजापुर, म.प्र.

20-10-16

.... विपक्षी / आवेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.रेवेन्यू बोर्ड निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 28.07.2016 तहसीलदार शुजालपुर, जिला– शाजापुर, द्वारा विपक्षी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र.भू.रा. संहिता का स्वीकार किया गया है। प्रकरण क्रमांक– 3–अ–13/2015–16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2888–पीबीआर/2016 जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
06.12.16	आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–7–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वज्ञरा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर होना एवं आवेदकगण द्वारा उसे अवरूद्ध किया जाना पाया गया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	